क्रम-संख्या–126

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 30 मई, 2018

ज्येष्ठ 9, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 6/2018/2169/6–पु-1–18-53-2015

लखनऊ, 30 मई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–59

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 12 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।	12–ऐसा कोई पुरुष/स्त्री– (क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।	(ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

नियम 14 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियों की पृथक–पृथक संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। तत्पश्चात, बोर्ड महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियो के लिए रिक्तियों को पृथक–पृथक रूप से निम्नलिखित रीति में अधिसूचित करेगा :– (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन निर्गत करके; (दो) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर सूचना चस्पा करके या आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा; (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचना द्वारा; और (चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।	**14–**नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा तत्पश्चात, बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:– (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके; (दो) कार्यालय के सूचना–पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा; (तीन) रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करके; और (चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

प्रमुख सचिव, गृह।